Safeguards of Liberty - स्वतंत्रता के संरक्षण

स्वतंत्रता प्राप्त करने से अधिक कठिन कार्य स्वतन्त्रता को बनाये रखना है। यह बात व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता दोनों के सम्बन्ध में पूर्णतया सत्य है। विभिन्न लेखकों के अनुसार, स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक और वांछनीय है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है।

(i) आदर्श कानून - व्यक्ति अपनी विविध स्वतन्त्रताओं का उपभोग राज्य में रहकर ही कर सकता है और राज्य कानूनों के माध्यम से ही इस प्रकार की स्वतन्त्रताओं की रक्षा करता है। स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु आदर्श कानूनों के निर्माण की आवश्यकता बताते हुए आर्नेस्ट्स ने कहा है कि मुख्यतया स्वतन्त्रता की रक्षा और हनन कानून के स्वभाव और इसके द्वारा दिए गये दण्ड की मात्रा पर निर्भर करती है।

(ii) विशेषाधिकार का अन्त - जिस समाज में कुछ व्यक्तियों, धर्म, जाति या सम्पत्ति के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते है, वहां पर सभी नागरिकों की स्वतन्त्रता की पूर्ण रक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु विशेषाधिकारों का अन्त नितान्त आवश्यक है। लास्की के शब्दों में यदि समाज के किसी भाग को विशेषाधिकार दिए गये हो तो उस दशा में जनसाधारण स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं कर सकता।

(iii) लोकतन्त्रीय शासन - व्यक्तियों को अपनी स्वतन्त्रता के हनन का सबसे अधिक भय शासन से होता है, किन्तु यदि लोकतन्त्रीय शासन हो तो जनता का यह भय कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है। लोकतन्त्र में जनता शासित होने के साथ-साथ शासक भी होता है और शासन की अन्तिम सत्ता जनता में निहित होने के कारण स्वतन्त्रता का हनन हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा और व्यक्तित्व के विकास हेतु लोकतन्त्रात्मक शासन ही सर्वोच्च समझा जाता है।

(iv) मौलिक अधिकार - मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार होते है जिनका उपभोग राज्य के विरुद्ध किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से नहीं वरन् राज्य के हस्तक्षेप से भी व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करते है।

Scanned with CamScanner

(v) स्वतन्त्र न्यायालय - नागरिकों की स्वतन्त्रता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि न्यायालय स्वतन्त्र हो और न्यायालय के कार्यों में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न हो। इस प्रकार की निष्पक्षता और स्वतन्त्रता की स्थिति में ही न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते है।

(vi) सतत् जागरूकता - स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और स्वतन्त्रता का अतिक्रमण होने पर उसका विरोध करे। पुनः सतत् जागरूकता ही स्वतन्त्रता का मूल्य है।

(vii) शक्तियों का पृथक्करण तथा अवरोध और सन्तुलन - शक्ति पृथक्करण को अपनाते हुए एक ही हाथों में शक्तियों के एकीकरण को रोका जाना चाहिए तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही जहां तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का सम्बन्ध है, अवरोध और सन्तुलन के सिद्धान्त को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे सम्बन्ध की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे स्वतन्त्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण हो सके और ठीक प्रकार से उन्हें क्रियान्वित किया जा सके।

(viii) आर्थिक न्याय - इसके बिना स्वतन्त्रता एक ही वर्ग का हित बनकर रह जाती है।

(ix) स्वतन्त्र प्रेस - स्वतन्त्र प्रेस द्वारा शासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जा सकता है। स्वतन्त्रता का सार मानवीय चेतना है और मानवीय चेतना के विकास का सर्वप्रमुख साधन स्वतन्त्र प्रेस ही है।

(x) स्थानीय स्वशासन - लास्की के विचार में राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तृत वितरण होगा, जितना अधिक विकेन्द्रीकृत उसकी प्रकृति होगी, मनुष्य में अपनी स्वतन्त्रता के प्रति उतना ही अधिक उत्साह होगा।

Scanned with CamScanner